न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

वाद संख्या ::–123/2019

घीसा पिता मोती धाकड निवासी चेची तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1– सूरजमल पिता पृथ्वीराज धाकड मृतक के उत्तराधिकारी
1/1– कजोडी बाई बेवा सूरजमल धाकड निवासी चेची
1/2– कैलाश चन्द्र पिता सूरजमल धाकड निवासी चेची
1/3– सुगना पुत्री सूरजमल धाकड निवासी चेची
1/4– सोहनी पत्नी शंभूलाल धाकड निवासी रामपुरिया तह0 बेगूँ
1/5– मांगीबाई पत्नी रामलाल धाकड निवासी मानपुरा तह0 जावद(म0प्र0)
2–लखमा एवं मोडी बाई पत्नी हेमा के विधिक उत्तराधिकारी
2/1– हजारी पिता हेमा धाकड निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
2/2–रामलाल पिता हेमा धाकड निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
2/3– सरजुबाई पुत्री हेमा पत्नी प्यारा धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगूँ
प्रतिवादीगण

उपस्थित ::–श्री सिद्धार्थ बिल्लू
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक ::– 27–10–2023

निर्णय वाद अ0धा0 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री बिल्लू द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया गया कि मौजा चेची तहसील बेगूँ में निम्न आराजीयात स्थित है:–

आराजी संख्या	रकबा	
	बीघा	बिस्वा
97	–	11
102	01	07
128	02	12
156	–	06
157	–	03
152	07	01
किता–6	11बीघा	19बिस्वा

यह कि उपरोक्त आराजीयात मुझे जरिये रजिस्टर्ड बक्षीसनामें से कब्जे काश्त में आई इन आराजीयात का मालिक एवं खातेदार श्री लखमा पिता नाथू जिसके कब्जे काश्त में जमीन थी मेरी सेवा चाकरी से खुश होकर मुझे बक्षीस कर [illegible] बक्षीस नामा 18.04.1967 को रजिस्टर्ड हुआ।

यह कि बक्षीसनामे के बाद जमीन [illegible] कब्जे काश्त में चली आ रही थी [illegible] प्रतिवादीगण ने मेरे साथ झगडा फिसाद कर कब्जा छुडाना चाहा तो मैने धारा 145 [illegible] मे कार्यवाही चलाई जिसका निर्णय दिनांक 16 जून 1984 को श्रीमान एस0डी0एम0 साहब बेगूँ ने निर्णय दिया। नियमानुसार कब्जा प्रतिवादीगण का घोषित किया गया निर्णय शाम को घोषित किया गया व उसी रोज रात्रि को जाकर कब्जा प्रतिवादीगण को दिया गया, इस दौरान तहसीलदार साहब जमीन जैर बहस पर रिसीवर की हैसियत से काबिज रहे सो वह रकम तो मेरे द्वारा श्रीमान सेसन जज साहब के यहां निगरानी करने पर प्रतिवादीगण को दिलाये जाने से रोक दी गई। मैने धारा 145 जा0फो0 में दिनांक 23.06.1975को प्रार्थना पत्र दिया था, दिनांक 22.10.1975 को अदालत एस.डी.एम कोर्ट ने उक्त जमीन पर तहसीलदार साहब बेगूँ को रिसीवर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:25 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादीगण ने सूरजिया एवं लखमा के बीच पूर्व में भी धारा 145 जा.फौ. का मुकदमा चला जा`लखमा के पक्ष में गया तथा निगरानी बाद ीाी निण्रय नही बदला जा सक। इसके पश्चात श्री लखमा ने मुझे बक्षीस कर कब्जा दिया बाद में प्रतिवादीगण मोडी ने लखमा को अपनी तरफ मिला उससे बक्षीस नामा अपने हक में दिनांक 29.07.1975 को करा लिया यह बक्षीस नामा न तो लखमा को करने का अधिकार था ओर ना ही इस बक्षीस नामे को मेरे हक पर कोई प्रभाव पडता है। यह बक्षीस नामा अपने आप प्रभाव शुन्य होकर मेरे मुकाबले मे बेअसर है क्यो कि जब तक मेरे किये बक्षीस नामे को सक्षम अदालत द्वारा निरस्त नहीं यिका जाता तब तक किसी भी अन्य तरीके से मेरे बक्षीस नामे को खारिज कानूनन नहीं माना जा सकता है।

यह कि प्रतिवादी सुरजिया ने भी रेवेन्यु विभाग एवं सेटलमेन्ट से मिलकर गलत तरीके से बिना किसी सही सबूत के अपना आधा हिस्सा उपरोक्त आराजीया तमे दर्ज रेकार्ड करवा लिया वह ीाी खारिज किया जाना चाहिये इस हेतु भी यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, क्यो कि प्रतिवादीगण मेरी खातेदारी मानने से ही मना करते है तो मेरी खातेदारी घोषित हेतु यह वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण किसी भी सूरत मे मेरी उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा रखने के अधिकारी नहीं है उनका कब्जा बतौर अतिक्रमी के होने से यह वाद कब्जेयाबी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वादी के पूर्व जो भी निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष मे हुए वे कानूनन जायज नहीं है क्यो ि कवे सक्षम न्यायालय द्वारा उचित सबूत लिए वगैर दिये गये है जो स्वयं उन निण्रयो में दिये निर्देशो से स्पष्ट हैं। यह कि धारा 145 जा0फौ0 के निण्रय अनुसार प्रतिवादीगण को कब्जा दिये जाने से बिनाय वाद वपैदा हुई। बिनाय मुखास्मत दिनांक 16. 061984 को पैदा होती हैं।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विपक्षी में निम्न डिक्री प्रदान की जावें।

(क) कलम नं0 1 मे वर्णित आराजीयात मेरे खातेदारी की होने की घोषणा की जावें।

(ख) कलम नं0 1 में वर्णित आराजयीात से प्रतिवादीगण को अतिक्रमी मान बेदखल कर कब्जा मुझे दिलाया जावें।

(ग) प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे किवे मेरे उपभोग व कब्जे में किसी तरह की न स्वयं कोई दखलंदाजी न करें न अन्य से करावें।

(घ) वादखर्च एवं वकील मेहनताना दिलाया जावें।

(च) दौराने कार्यवाही जो ीाी उप हो उसका नियमानुसार मीन प्रोफिट दिलाया जावें।

(द) अन्य दाद जिसका वादी अधिकारी हो दिलाई जावें।

वादी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र पंचोली ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें निवेदन किया कि कलम नं01 वादी ने जानबूझकर सही तथ्यो को छुपाया है जबकि लखमा का सम्पूर्ण हिस्सा जिसे उसने बंशीलाल सुनार एवं रामचन्द्र दर्जी को बेच दिया बक्षीस किस किस आराजी का हुआ वाद में स्पष्ट नहीं लिखा। शामलाती भूमि में बिनाबंटवाडे के हुक्म इम्तनाई दबामी का दावा चलने योग्य नहीं है। लखमा का नाम सूरजमल के हिस्से से हटाया जाकर [illegible] सूरजमल व उसके वारिसान के मिलकियत की मात्र होने से वाद निरस्त योग्य हैं।

यह कि वादी जमीन जैर बहस का [illegible] नही होनेसे दावा हाजा चलने योग्य नहीं हैं। यह कि दावा हाजा अन्दर मियाद नहीं होने से निरस्त योग्य है। लखमा की विक्षिप्त हालत मे यदि सूरजमल के हिस्से एवं कब्जे की भूमि जिसे मुन्तकिल करने का लखमा अधिकारी नहीं था उसके हिस्से ो गोण मानकर कोई भी दस्तावेज लिखाया गया हे तो वह सूरजमल के हिस्से मिलकियत व कब्जे की भूमि पर प्रभावहीन होन`से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है तथ्य कल्पित बक्षीस के बाद भी भूमि पर कब्जा वादी का नहीं रहा लखमा ने उसके हिस्से को विक्रय कर दिया शेष भूमि पर लखमा का हिस्सा नहीं रहने से दावा हाजा चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:25 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार नहीं होनेसे प्रतिवादी के हक व कब्जे के बाबत लेख प्रतिवादीगण के मुकाबले ... एवं वादी को कोई अधिकार नहीं प्रदान होने से दावा चलने योग्य नहीं है। यह कि ...कथित बक्षीस नियमानुसार अवैध होन`से वादी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होने से ...द हाजा चलने योग्य नहीं है। तथाकथित बक्षीश नियमानुसार अवैध होन`से वादी को कोई ...धिकार उत्पन्न नहीं होने से वाद हाज चलने योग्य नहीं है।

यह कि सूरजमल खातेदार का हिस्सा मिलकियत व कब्जे की भूमि को लखमा ...क्षीस करने का अधिकारी नहीं होने से वादी को सूरजमल के हिस्से कब्जे की भूमि पर कोई ...धिकार नहीं मिलते है जिससे प्रतिवादी सूरजमल के मुकाबले प्रभावहीन बक्षीस सेवादी को ...कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होने से दावा हाज चलने योग्य नहीं है। घीसा ने सूरजमल के ...नामान्तरकरण की अपील सं0 68/76 जो दिनांक 04.4.1977 कोक खारिज होने से वाद हाजा ...निरस्त योग्य हैं। मोडी के पक्ष में लखमा द्वारा बक्षीस को निरस्त कराने की दाद हेतु दावा ...माननीय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से दावा हाज चलने योग्य नहीं है।

यह कि लखमा ने अपना हिस्सा बेच दिया एवं उसने सूरजमल के बिना सहमति ...नाम हटाया गया शेष हिस्सा सूरजमल का होने से लखमा का नाम हटाये जाने योग्य होन`से ...जमीन जैर बहस मात्र सूरजमल के वारिसान की मिलकियत होन`से वाद हाजा चलने योग्य ...नहीं हैं। वादी ने गलत दस्तावेजो के आधार पर सूरजमल के जायज हक को हडपने की ...नियत से गलत वाद पेश किया जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

यह कि जमीन जैर बहस के तथाकथित बक्षीशशुदा भूमि लखमा ने अपने हिस्से की ...पूर्ण भूमि बेचकर रामचन्द्र बंशीलाल को कब्जा दिया जो आवश्यक पक्षकार मुकद्मा होन`से ...पक्षकार बनाये बगैर वाद चलने योग्य नही हैं।

अतः अनुरोध है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं खर्चा मुकद्मा मेहनताना वकील प्रतिवादीगण को वादी से दिलाया जावें।

पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी पत्र आदेशिका पर ही अंकित किये है जो निम्न प्रकार से हैः–

1– आया कि मौजा चेची की आराजी किता6 रकबा 11बीघा 19 बिस्वा भूमि लखमा पुत्र नाथू के बक्षीस दिनांक 18.04.1967 को वादी को करने में वादी इस आराजी का खातेदारी अधिकारी है?
वादी

2– आया कि उक्त आराजी जैरबहस का मु0 मोडी बेवा हेमा ने लखमा से मिलकर दिनांक 29.07.1975 को उसके हक में वसीयत नामा करवाया जो वादी के बक्षीस नामे के मुकाबले शुन्य है?
वादी

3– आयाक्या वादी खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है? वादी

4– आया कि उक्त आराजी जैरबहस प्रतिवादी सं. 1 कके उत्तराधिकारी के मिलकीयत एवं काश्त की प्रस्तावी है। धारा 145जा0फौ0 मे भी सुरजा का ही कब्जा माना है?
प्रतिवादी

5–आया कि मौजा चेची में के पुराने आराजी किता–9 रकबा 2बीघा 07 बिस्वा सम्वत 2027से 30में श्री सूरजा लखमा के सामालाती खाता था, लखमा ने अपने हिस्से की भूमि श्री बंशीलाल सुनार एवं श्री रामचन्द्र दर्जी चेची को विक्रय क... ...मीन सुरजा की रही ?
प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:25 IST
Reason: SelfAttested

6– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी कायम किये जाने के उपरान्त ... साक्ष्य में वादी घीसालाल पिता मोती धाकड ने अपनी साक्ष पत्रावली में पूर्ण ... प्रदर्श किये गये। यह पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के न्यायालय से इस न्यायालय को प्राप्त हुई थी जिसमें प्रतिवादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में हिदायत पैरवी नहीं किये जाना जाहिर कर अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा नो इन्स्ट्रेक्शन किये जाने से दावा पत्रावली में अधिवक्ता ... सुना गया । अधिवक्ता वादी द्वारा वर्णित

क्या गया , साक्ष्य वादी एवं दस्तावेज के अनुसार तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से
है:–

0 1 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है, वादी ने अपने वादपत्र के
जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें नकल जमाबंदी मौजा चेची सं0 2023 से 2026
र्शा–2 है का अवलोकन किया , आराजी संख्या 67, 76, 95, 127, 134, 135, 151,
किता–9 रकबा 20बीघा 07बिस्वा भूमि के खातेदार लखमा पिता नाथू व सूरज्या
यारा धाकड सा.देह हि.ब. दर्ज अंकित है। प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी मौजा चेची सं0
है जिसमें आराजी संख्या 97, 102, 1258, 152, 156, 157, 158, 563, 564, 565,
किता–12 रकबा 25बीघा 19 बिस्वा भूमि लखमा पिता नाथू धाकड सा.देह के नाम
हक से दर्ज है, जमाबंदी में लालस्याही से नोट अंकित है कि इं.नं. 79 दिनांक 30.
श्री लखमी पिता नाथू धाकड 1/2 श्री सुरजमल पिता प्यारचन्द्र धाकड 1/2
सा.देह के नाम पर दर्ज अंकित की गई है। साथ ही ई.नं. 138 से आराजी संख्या
5, 566 किता–3 रकबा 5बीघा 5 बिस्वा भूमि रामचन्द्र पिता कन्हैयॉलाल दर्जी सा.देह
अंकन करने की मंजूरी हुई है। प्रदर्श–4 व 5 नकल खसरा गिरदावरी की है जिसमें
पिता नाथू ने जो फसल बोई है उसका अंकन किया हुआ है। प्रदर्श–6 व प्रदर्श–7
भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) की नकल है जिससे वर्णित गत आराजी के नवीन नम्बर बने
सिद्ध होता है। पत्रावली में छायाप्रति बक्षीसनामा प्रस्तुत की है जो पूर्व में प्रदर्श पी–1
किये हुए है उक्त बक्षीस नामा का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया , यह बक्षीस नामा
कृत होकर लखमा पिता नाथू द्वारा घीसा पिता मोती धाकड के नाम पर बक्षीस किया गया
सनामा दिनांक 12.04.1967 का है। बक्षीसनामा में जो कृषि आराजीयात का अंकन किया
है उनमें 67, 76, 95, 127, 134, 135, 151, 298, 310 किता–9 रकबा 20बीघा 07बिस्वा
अंकित की हुई है, अब प्रश्न यह उठता है कि खातेदार लखमा द्वारा पंजीकृत बक्षीसनामा
आराजीयात का घीसा के नाम पर निष्पादित किया है उसके बाद लक्षमा ने एक पंजीकृत
य विलेख जो कि आराजी संख्या 298 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा का 1000/–रूपये में
लाल पिता रतनलाल सुनार को पंजीकृत विलेख से निष्पादित किया है, जब खातेदार
खमा अपनी तमाम जायदाद का पंजीकृत बक्षीस घीसा के नाम पर कर देते है तो उन्हें
सनामा में वर्णित आराजी संख्या 298 को बंशीलाल सुनार को विक्रय किये जाने का
धिकार ही नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त भी एक पंजीकृत विक्रय पत्र जो कि खातेदार
खमा द्वारा उनके खाते की आराजी संख्या 310 रकबा 4 बीघा को रामचन्द्र पिता
न्हैयालाल जी दर्जी को विक्रय किया है यह आराजी संख्या 310 भी लखमा द्वारा पंजीकृत
क्षीसनामे में अंकित की हुई है। इस तथ्य को अधिवक्ता वादी अपनी बहस में स्पष्ट नहीं करा
सके है कि जो आराजी का पंजीकृत बक्षीस खातेदार लखमा द्वारा की गई उस आराजीयात
का विक्रय लखमा किस प्रकार कर सकते है? इसी प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत एक पंजीकृत
बक्षीसनामा जो कि लखमा पिता नाथू द्वारा ग्राम चेची के खाता संख्या 144 में अंकित आराजी
संख्या 97, 102, 1258, 152, 156, 157, 158, 563, 564, 565, 566, 567 किता–12 रकबा
25बीघा 19बिस्वा को मु.मोडीबाई जोजे हेमा जी धाकड निवासी कनकपुरा के नाम पर पंजीकृत
निष्पादित किया गया है जो दिनांक 08.08.1975 को किया है,यह दस्तावेज प्रदर्श ए 3 है, इस
दस्तावेज से यह प्रश्न उठता है कि जब चेची की वर्णित आराजीयात में खातेदार लखमा का
1/2 हक एवं सुरजा का 1/2 हक अंकित हुआ है, तो उससे ... आराजी को बक्षीस
मोडीबाई के नाम किया जाना खातेदार लखमा की ... है। पत्रावली में एक
पंजीकृत विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया ... रामलाल, सरजुबाई पिता
हेमा जी द्वारा श्री भवानीलाल पिता देवीलाल व मांगीलाल ... पिता खेमा को आराजी
संख्या 152, 156, 157, 158 किता– 4 कुल रकबा 1.238 हैक्टर में विक्रेता का 1/2 हक
केतागण को विक्रय किया गया, अब इस आराजी में वादी का हक शेष कहां रह जाता है यह
तथ्य भी वादी अधिवक्ता स्पष्ट नहीं करा पाये है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल प्रदर्श–पी8 यह
नकल अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रकिया संहिता के निर्णय दिनांक 16 जून 1984 की है, यह
वाद पत्र घीसा आत्मज मोती धाकड ने लखमा पिता नाथू व अन्य पर किया गया था उक्त
... पर कब्जा सुरजा व मोडी का माना गया है यह तथ्य स्वयं वादी
... किया गया है, इसके अतिरिक्त पत्रावली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:25 IST
Reason: SelfAttested

के हक अनुसार उसका विक्रय कर दिया है शेष आराजी का मालिक सुरज्या पिता प्यारा
ता ही है व मेरे द्वारा जो भूमि विक्रय कर दी है जिनका खरीददारो द्वारा इन्तकाल फैसल
करवाया है व मेरे नाम पर चली आ रही है व उक्त आराजी मैने मेरे हक की ही विक्रय
ने के पश्चात सुरज्या पिता प्यारा का हक शेष रहा है, जिससे वो अब उक्त आराजी का
योग उपभोग करें । मुझे व मेरे परिवार को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा। व मरे
द्वारा विक्रय करने के पश्चात खरीददारो ने भविष्य में कभी भी इन्तकाल खुलवाने के पश्चात
ेष आराजी का हिस्सिा सुरज्या का होगा व अगर इसमें मुझे व मेरे परिवार के वंश वारिसान
को भविष्य में ीाी किसी भी किस्म का ऐतराज नहीं होगा अगर मेरी मृत्यु के उपरान्त में मेरे
परिवार वाले किसी भी किस्म का ऐतराज करते है तो वह राजपंचो में झुठे माने जावें। यह
स्टाम्प स्वयं खातेदार लखमा ने लिख कर दिया है जो कि पंजीकृत नहीं है लेकिन वाद वर्णित
आराजीयात में जो तथ्य स्पष्ट थे वह इस स्टाम्प के माध्यम से दर्शित होते है। इस प्रकार
वाद वर्णित आराजीयात में वादी का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहता है, वादी इस तनकी नं0
1 को दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अपने हक में निर्णित करा पाने में पूर्णतया असफल रहे है।
अतः तनकी नं0 1 विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2–<u>तनकी नं0 2 व 3 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को भी सिद्ध कराने का भार वादी का है जिन्होने अपने बक्षीसनामे के मुकाबले दिनांक 29.07.1975 को मोडी बेवा हेमा के नाम पर किए गए बक्षीसनामे को शुन्य माने जाने का निवेदन किया है, जेसा कि तनकी नं. 1 में विस्तृत उल्लेख दोनो ही बक्षीसनामे को लेकर अंकित है, वादी के नाम अलग आराजी की बक्षीस है तथा मोडी के नाम पर अलग आराजी की बक्षीस है, साथ ही सभी दस्तावेज के अवलोकन से वाद वर्णित आराजीयात में अब कोई हक हिस्सा वादी का नहीं रह जाने से वह आराजीयात की घोषणा करा पाने का अधिकार नहीं रखता है यह तथ्य भी दस्तावेजी साक्ष्य से वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। अतः तनकी नं0 2 व 3 विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

3–<u>तनकी नं0 4 व 5 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है , हालॉकी प्रतिवादीगण द्वारा इस दावा पत्रावली में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत की है साथ ही उनके अधिवक्ता द्वारा भी प्रकरण मे हिदायत पैरवी नहीं होने जाहिर किया है किन्तु जैसा कि तनकी नं0 1 के दस्तावेज साक्ष्य अनुसार विस्तृत निर्णय से यह सिद्ध हुआ है कि खातेदार लखमा ने अपने हक हिस्से की आराजी का विक्रय कर दिया है साथ ही धारा 145 जा.फौ. के निर्णय अनुसार भी वर्णित आराजी पर कब्जा सुरज्या को दिलाने का निर्णय हुआ है, वर्णित आराजीयात में अब वादी का कोई हक हिस्सा नहीं रहने से वादी इस वाद पत्र में अपने नाम पर आराजी की घोषणा करा पाने में पूर्णतया असफल रहे है,साथ ही वादी के पक्ष की तनकी को भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर वादी अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। अतः यह तनकी नं0 4 व 5 बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के अनुसार सभी तनकी विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की गई है, इस प्रकार वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रहे है। वादी का वाद पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य से वादी अपने पक्ष में सिद्ध नहीं करा पाने से वादी का वाद पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27–10–2023 को लिखाया जाकर मेरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:25 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,

मूल वाद में अंतिम डिकी
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
ालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

::—123 / 2019

पिता मोती धाकड निवासी चेची तहसील बेगूँ
वादी

बनाम
ल पिता पृथ्वीराज धाकड मृतक के उत्तराधिकारी
कजोडी बाई बेवा सूरजमल धाकड निवासी चेची
कैलाश चन्द्र पिता सूरजमल धाकड निवासी चेची
सुगना पुत्री सूरजमल धाकड निवासी चेची
सोहनी पत्नी शंभूलाल धाकड निवासी रामपुरिया तह0 बेगूँ
मांगीबाई पत्नी रामलाल धाकड निवासी मानपुरा तह0 जावद(म0प्र0)
एवं मोडी बाई पत्नी हेमा के विधिक उत्तराधिकारी
हजारी पिता हेमा धाकड निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
रामलाल पिता हेमा धाकड निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
सरजुबाई पुत्री हेमा पत्नी प्यारा धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगूँ
प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88—188 राज0 काश्त0 अधि0

की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धाथ बिल्लू की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की
श्री हरीश चन्द्र शर्मा की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88—188 आर.टी.एक्ट में
दिनांक 20—10—2023 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर सहायक
टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र
त धारा 88—188 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है दावा अंतिम
किया जाता है:—

वाद वादी का अ0धा0 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य से
अपने पक्ष में सिद्ध नहीं करा पाने से वादी का वाद पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता

अंतिम डिकी आज दिनांक 27—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से
री की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:25 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ